

कानून



किरण

KANOON KIRAN



डा. एम.एन. पाण्डेय

सम्पादक, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय
चेम्बर नं. C-105, ग्राउंड फ्लोर,
हाई कोर्ट, मो. 9450357128
advsnp.011@gmail.com

National Fortnightly Bilingual News Paper for law, Justice & Company Affairs

वर्ष : 22 अंक : 16

लखनऊ 16 से 31 अगस्त-2022

पृष्ठ : 8 मूल्य 7 रूपये

Justice Uday Umesh Lalit (U.ULalit) sworn in as 49th Chief Justice of India

Justice U ULalit took oath as the 49th Chief Justice of India (CJI), President Droupadi Murmu administered the oath of office to Justice Lalit at the swearing-in ceremony held in the Durbar Hall of Rashtrapati Bhavan. The new CJI has a short tenure and will hold office till November 8, 2022. He succeeds Justice U ULalit, who was elevated directly to the Supreme Court from the Bar in August 2014, has a short tenure and will hold office till November 8, 2022. Speaking at a farewell event for Chief Justice Ramana, Justice Lalit laid out his priorities, saying he "will strive hard to make the process of listing cases as simple as transparent as possible", make mentioning - where lawyers bring urgent matters to the notice of the court - easier, and strive to ensure that there is at least one Constitution bench functioning throughout the year. He was elevated directly to the Supreme Court from the Bar in August 2014 - only the sixth lawyer to be so honoured. Enrolling as an advocate in June 1983, CJI Lalit has been a key part of the country's jurisprudential journey in the last couple of decades, initially as a lawyer and then as judge. His father U R Lalit was an additional judge of the Nagpur bench of the Bombay High Court. He has also been part of several important rulings in the SC. CJI Lalit headed the bench that last month sentenced Vijay Mallya, who was found guilty of contempt of



court in 2017, to four months' imprisonment and fine of Rs 2,000. He also headed the bench that convicted the fugitive businessman for contempt in May 2017.

President Droupadi Murmu administers oath to Justice Uday Umesh Lalit as the Chief Justice of India at Rashtrapati Bhavan. (PTI)

A bench presided by him underscored the importance of mitigating circumstances while dealing with death penalty convicts. In a Madhya Pradesh case involving a man sentenced to death for the gangrape of a child, the bench gave credence to the role of a "mitigation investigator" in going into the background of the convict. The court also initiated a suo motu case to streamline the process of consideration of mitigating circumstances in such matters.

It said that "every circumstance which has the potential of being a mitigating circumstance,



while considering whether a death sentence be imposed or not, must necessarily be considered by the court". He was also part of the five-judge bench which by a 3:2 majority judgment, in August 2017, "set aside" the centuries-old practice of instant triple talaq or talaq-e-biddat in which Muslim men divorce their wives by uttering talaq three times in quick succession.

CJI Lalit also headed the bench which in July 2020 upheld the rights of the erstwhile royals of Travancore in the administration of the Sree Padmanabha Swamy Temple in Thiruvananthapuram. In November 2021, an SC bench headed by him quashed the two judgments of the Nagpur bench of Bombay High Court saying the most important ingredient for constituting an offence of sexual assault under Section 7 of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act is the "sexual intent", and not the "skin-to-skin contact with the child".

6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने का लक्ष्य: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य छह साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य व कानूनी बनाना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य छह साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य व कानूनी बनाना है। केंद्र सरकार ने दोषसिद्धि दर को विकसित देशों से भी अधिक करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सरकार देश के सभी जिलों में फोरेंसिक जांच सुविधा उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा कि जांच की स्वतंत्रता व निष्पक्षता बनी रहे।

अमित शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम में



बदलाव करने जा रही है, क्योंकि किसी ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन कानूनों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं पाया। मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 'स्वतंत्र भारत में इन कानूनों को फिर से बनाने की जरूरत है। इसलिए, हम आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव के लिए बहुत से लोगों से परामर्श कर रहे हैं।' केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इसके तहत हम छह साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच के प्रावधान को अनिवार्य और कानूनी बनाने जा रहे हैं।'

राम मंदिर आंदोलन ही नहीं, इन कामों के लिए यूपी में याद किए जाते हैं कल्याण सिंह

उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह को राममंदिर आंदोलन और हिन्दुत्व का अहम चेहरा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने कई ऐसे अहम निर्णय लिए जो चर्चा में रहे और एक मिसाल कायम की। 15 जनवरी, 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मढ़ेली में गांव में जन्मे कल्याण सिंह अपने राजनीतिक सफर में लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में कई अहम पदों पर काबिज रहे। उनके कार्यकाल में 1998 में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन कर कई कुख्यात अपराधियों को आतंक खत्म करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। श्रद्धेय कल्याण सिंह सनातन सेवा समिति न्यास के अध्यक्ष प्रशांत भाटिया ने बताया कि 21 अगस्त को कल्याण सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि है। 20 अगस्त को गोमती नगर विस्तार स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया। उन्होंने



कहा कि 500 वर्षों के कठोर संघर्ष के बाद आज श्री रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। एक समय था जब रामलला टेंट में रहा करते थे। लेकिन आज जो मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसका रास्ता कल्याण सिंह ने ही प्रशस्त किया था। जब डीजीपी पहुंचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पास यह घटना 6 दिसंबर सन 1992 की है, जब कार्य सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए थे। तब तत्कालीन डीजीपी एलएम त्रिपाठी आनन-फानन में कालिदास मार्ग पहुंचते हैं। वह मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे थे। कल्याण सिंह की जमानत लेने वाले अधिवक्ता कैप्टन सुभाष चंद्र ओझा पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि कल्याण सिंह जी से उस समय के डीजीपी ने कहा कि कार्य सेवक ढांचे पर चढ़ गए हैं।

Editorial.....



CONTROL OF HIGH COURTS OVER DISTRICT COURTS

The Constitution provides for three tier Judicial System of Courts. The Ground Floor is given to the District Courts. The High Courts occupy the First Floor. The Top-Floor is allotted to the Top Court - The Supreme Court. The importance of the Ground Floor cannot be undermined. Infact, it provides the foundation. If the foundation is strong, the strength will automatically flow upwards. The District Judiciary plays an important role. The trust and the confidence of the people in the District Judiciary is the sine qua non of our Judicial System. One of the serious concern has been the District Judiciary. Article 235 of the Constitution. It speaks of control of High Courts over District Courts and Courts Subordinate thereto. The District Judiciary is one unit, a wholesome unit. In exercise of its jurisdiction, each Court is independent and is not subordinate or inferior to any other Court. There cannot be any interference so far as the exercise of jurisdiction is concerned. The order/judgment of each Court is subject to the statutory right of appeal. The appellate Courts can interfere with the orders / judgments if they are not found to be in accordance with law. All Courts are independent. No Court can claim jurisdiction of any kind over another Court. Accordingly, the expressions subordinate Courts and inferior posts militate against the exercise of independent jurisdiction of its own.



Dr. S.N. Pandey
Editor

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह



की पुण्यतिथि को बीजेपी बड़े स्तर पर श्रद्धेय कल्याण सिंह सनातन सेवा स्मृति न्यास द्वारा आयोजित की गई 7 प्रथम पुण्य तिथि पर उनके सम्मान में सरकार ने लखनऊ के कैंसर अस्पताल में बड़ी मूर्ती स्थापित करवाई है, जिसका अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथजी ने किया है।

Kalyan Singh (5 January 1932 - 21 August 2021) was an Indian politician and a member of the Bharatiya Janata Party (BJP). Kalyan Singh was born in 1932. His family was from the Lodhi community. Singh was a swayamsevak, or volunteer, of the Hindu nationalist Rashtriya Swayamsevak Sangh, becoming a member while still in school. His son, Rajveer Singh, and grandson, Sandeep Singh, are also politicians and members of the Bharatiya Janata Party. He served twice as the Chief Minister of Uttar Pradesh and as a Member of Parliament. He was the Chief minister of Uttar Pradesh during the demolition of the Babri Masjid in December 1992. He was considered an icon of Hindu nationalism, and of the agitation to build a Ram temple in Ayodhya. He entered the Uttar Pradesh legislature as a Member of the Legislative Assembly for Atrali in 1967. He won nine more elections to that constituency as a member of the Bharatiya Jana Sangh, the BJP, the Janata Party and the Rashtriya Kranti Party. Sradheya Kalyan Singh was appointed Chief Minister of Uttar Pradesh for the first time in 1991, but resigned following the demolition of the Babri Masjid. He became Chief Minister for a second term in 1997 but was removed by his party in 1999, and left the BJP, forming his own party.

STEPS In FAIR INVESTIGATION

The investigation which is an extensive process of collection of evidence of a crime, generally begins with the recording of the First Information Report which in fact sets not only the criminal law but also investigation in motion. Investigation has to be done not only swiftly, chronologically but also impartially and in a manner dispelling any kind of suspicion either with regard to the result of investigation but also in respect of the identity or prima facie guilt of the accused. Therefore, it must be done with due care and caution and proceeded with not only methodically but also scientifically in consonance and conformity with forensic sciences. Hence, the Police Officer should possess thorough knowledge of the science of investigation.

The Investigation includes all the proceedings under CrPC code for the collection of evidence conducted by the Police Officer or any persons authorized by a Magistrate. This is not exhaustive but inclusive in nature and content. By Investigation, it means, criminal investigation, a statutory process through which the proof of an offence is established in a criminal court. It is the Police Officer who has the prerogative right to investigate a crime which is cognizable in nature. It is a sacred duty of the police to investigate.

STEPS In FAIR INVESTIGATION, Normally consist Proceeding to the spot of the event; Ascertainment of the facts and circumstances of the case; Discovery and arrest of the suspected offender; Collection of the evidence relating to the commission of the offence which may consist of: An examination of various persons including the accused and recording their statements if the investigating officer thinks it is necessary. The search of places, seizure of things considered necessary for the investigation and to be produced at the time of trial. Formation of opinion as to whether it is a fit case for the accused to be sent up for the trial and if so, taking steps to file a charge sheet. Summoning and examining

the persons who are acquainted with the circumstances of the case. Preparation of site plan of occurrence. Arresting the suspected offender. Ultimately submitting the charge sheet or challan under section 173 of Cr. P.C to the court.

The section 156 of the criminal procedure code statutorily empowers the police to investigate cognizable offences without any sanction or order from the Magistrate. They are not under the control of the courts or any judicial authority during the course of investigation. No Magistrate however superior has the powers either to interfere with or suspend the police investigation into a cognizable offence. The powers of the Police are absolute in this respect. The Magistrate could intervene directing the police to investigate or to order an inquiry into the case only if the police decide not to investigate the case.

The investigator should collect all the relevant objects such as blood-stained samples, finger prints, clothes, weapon of the offence from the scene of offence and send them to the court concerned under form no.91 of the police standing orders without much delay. The alacrity and agility of the investigators are necessary for these arduous tasks of investigation.

The success of the prosecution depends upon successful investigation which should be formal and impartial. The chain of events and evidence as disclosed by investigation should be continuous and any missing link will be fatal to prosecution. The entire process of investigation which begins with the collection of evidence under section 156 of CrPC ends with a report or charge sheet under section 173 of CrPC.

All the steps of investigation must be reduced into writing in the case diary then and there, without giving any kind of suspicion regarding manipulation or interpolation. It should be chronologically entered because the court has the

right to look into it to find out the truth or falsity of any claim made by the accused with regard to his arrest, recovery of material objects etc. Each and every step of investigation should be true and genuine. It should also appear to be above normal criticism that may be levelled by the defense. There should not be any loose ends left untied in the investigation.

A fair, true and impartial investigation will certainly bring the desired result for the success of the prosecution.

FURTHER INVESTIGATION -

The Magistrate can order further investigation under section 173(8) of CrPC. It is now a well settled principle of law that when a final form is filed by any investigating officer in exercise of his power in section 173(2) of CrPC, the first informant has to be given notice. He may file a protest petition which in a given case may be treated to be a complaint petition. On the basis thereof, after fulfilling the statutory requirements, cognizance may be taken by the learned Magistrate on the basis of the material placed on record by the investigating agency. It is also possible for a learned Magistrate to direct further investigation. The investigating officer upon further investigation would file an FIR in respect of a cognizable offence and would file a police report [Kishan Lal Vs Dharmendra Bafna, AIR 2009 7 SCC 685].

Re-investigation - Further investigation begins under section 173(8) of CrPC, when investigation is complete and final form is submitted under section 173(2) of Cr. P.C. Re-investigation is a process of investigation denovo and Cr.P.C is silent in relation to the process of re-investigation. Re-investigation without permission is prohibited but further investigation is permissible. The re-investigation wipes out the investigation done earlier. Normally, the High Court or Supreme Court as a principle, reserves the right for ordering "a fresh investigation", when it is of the view that the investigation was flawed.

THE RIGHT TO PRIVATE DEFENCE AND Nature and Scope of Excessive Self-defence

RAKHI SINGH

Sec. 300, IPC, states that if the accused, in good faith, exceeds the right to private defence provided to him in law, so long as there is absence of any sort of premeditation as to the commission of the act and also no intention to do more harm than is necessary for the purpose of the protection of the person or property in question, such accused cannot be held guilty of murder but only culpable homicide not amounting to murder.

The rationale behind this exception being made to murder is that such acts falling under this provision are very closely linked with the law of private defence which is rightfully used. The main reason for separating the two degrees of culpability of homicide in regard of acts exceeding the right of private defence in good faith is that the law itself invites acts that are on the verge of the crime of voluntary culpable homicide by providing the specific right of private defence of person and property.⁶⁶ The fact that the same or very similar act will get a total reprieve under Sec. 96, IPC, reduces the culpability of all acts done in good faith exceeding the right of private defence and resulting in death.

The right to private defence as a general exception is contained in Ss. 96-106, IPC. Under these sections, the right to private defence extends to the voluntary causing of death to the wrongdoer if the offence or attempt to commit the offence is of a certain description enumerated therein. One of the requirements, however, is the existence of reasonable apprehension of the consequences of the offence. Reasonable apprehension would mean that any honest mistake as to circumstances, or as to amount of force required for the exercise of the right would have to be reasonable failing which it would amount to exceeding this right and therefore an exception to murder, not a general exception.

Even Sec. 79, IPC has been interpreted as requiring a reasonable mistake, or at least due care, in spite of which a mistake is caused.⁶⁷ The exception to Sec. 300 also requires 'good faith' i.e. due care as defined in Sec. 52. The accused may make different types of mistakes. First, he may be mistaken as to the actual situation. For example, he may think himself threatened by the deceased when, in fact, the deceased is merely joking. Second, he may correctly understand the situation before him but makes a mistake as to the quantum of force required to defend himself in the circumstances. Third, the accused may be mistaken both as to the actual situation and as to the measure the supposed situation requires to be taken.

An unreasonable apprehension therefore, would not be covered by the general exception, and in order to fall within Exception 2 to Sec. 300, due care is a requisite. This exception to murder, therefore, covers the situation of an unreasonable apprehension in good faith. The effect of exceeding the right of private defence can be divided into two categories, homicidal and non-homicidal.

These fall under three categories. First, the cases in which the accused bona fide for the purpose of self-defence uses force but on account of error of judgement or due to loss of self-control in the heat of the moment or suddenness of the affair causes more harm than is necessary. Second, those cases where unnecessary harm or injury is inflicted after the

apprehension of danger has ceased to exist. The third kind covers those cases in which the conduct of the accused and the circumstances of the case reveal that the accused intended to cause more than necessary harm from the very beginning. In the last class of cases, the question of mitigation in view of the mala fides on the part of the wrong-doer cannot as a rule be said to arise. In such cases the right of self-defence is only a cloak for unjustifiable acts. In the second class of cases whether or not the question of mitigation arises, depends upon the presence or absence of mala fides. The Canadian case of R. v. Fraser⁶⁴ illustrates the reasoning behind this position of reducing excessive self-defence to manslaughter and not punishing for murder, holding that this defence (self-defence) reduces the degree of liability not because of lack of intent because an intent to kill or injure, where force is permissible, is less morally culpable than the intent to kill or injure recklessly under other circumstances. Where the act is done in a spirit of revenge, reprisal or retaliation, or is by its very nature extremely reckless or cruel it is hardly distinguishable from the acts falling in the third category and there is no occasion for the courts to exercise leniency in such matters. In contrast to this, British law⁶⁸ allows for an unreasonable mistake to also fall within the right of private defence holding that the accused is entitled to be tried on his actual beliefs and not on the probable beliefs of a reasonable man in his position.

Common law generally demands reasonableness to be an essential characteristic of a mistake as a defence. The right to private defence however, has been specifically excluded from this trend in recent times as elucidated in the above-cited cases. Indian law, on the other hand, under Sec. 79, IPC may allow for an unreasonable mistake, but for private defence reasonableness has been made a requisite.

Considering that the right to private defence is a general exception because of a person's honest belief that he has a right to defend his person and property, when there exists an honest but unreasonable belief as to circumstances, his actions in those circumstances (as he believed them to be) should also be made a general exception. This debate is based on the clash between the subjective and objective tests of reasonableness. Therefore, the position in British law caters better to the philosophy of private defence as a general exception.

The basic and essential characteristics of this exception are that although the person is not expected to weigh, in golden scales, the amount of force to keep within the right,⁶⁹ there should not be blatant excursion of the right. If there is such excursion, it would amount to the exceeding of the right to private defence and would therefore not be a general exception. Again, however, the accused must not be the aggressor or inflict injuries on the deceased maliciously or vindictively and not in self-defence.⁷⁰ Therefore, Exception 2 to Sec. 300 covers a situation between a legal and justifiable right to private defence based on honest and reasonable apprehension and blatant abuse of this right in order to intentionally inflict harm on the other party. The exception envisages a person labouring under an honest but

unreasonable belief exercising so much force as is unnecessary under the circumstances but doing so 'in good faith' and without an intention to cause unnecessary harm. This mental state is illustrated in the case of Vidhya Singh v. State of Madhya Pradesh⁷¹ where the Supreme Court held that when the appellant was encircled and assaulted, he in the heat of the moment, fearing that he will be dealt with severely, went on attacking those who encircled him and therefore, conviction under Sec. 304 was justified.

Considerable advantage has been taken of the vagueness of the term 'exceeding' in the exception. No quantum as to the amount of excess force used has been laid down. Consequently, the courts have adopted a lenient position in this regard. Examples of this are in cases like Tara Chand v. State of Haryana⁷² where even though the injuries inflicted on the deceased could not be justified on grounds of defence of property, (even after the deceased fell, he was injured in a vindictive and revengeful spirit) yet, it was held that the right to private defence had been exceeded and Sec. 304 applied. Similarly, in Nanhu Khan v. State of Bihar⁷³, where serious injuries inflicted on the deceased were not necessary for protecting property from him and the indiscriminate attack was continued even after the deceased fell down while the accused received only minor injuries, it was once again held that conviction would only be under Sec. 304 and not Sec. 302. Again, in Ghansham Dass v. State (Delhi Admin.),⁸² the deceased had committed criminal trespass, but he was not armed and no possible apprehension of death or grievous hurt to the accused could have arisen. It was held that by using a dangerous weapon, the right to private defence of property had been exceeded. The accused was hence held guilty under Sec. 304.

However, it is submitted that these cases do not take into account the specific inclusion of the phrase 'without any intention of doing more harm than is necessary.' A more apt decision can be found in the case of Ladha Gova v. State⁷⁴ where, when the accused on seeing the deceased stealing his sugarcane fetched an axe and gave a blow on the head of the deceased who immediately fell unconscious and was completely at the mercy of the accused, it was held that after the deceased had fallen down it could not be said that the right of private defence still continued and extended to inflicting two more fatal blows to the deceased so severe and brutal as to lead to the inference that the accused had the intention to cause the deceased's death. This decision can also be justified on the ground that the mental element in the right to private defence or even to the exception does not extend to such levels. Thus, it is submitted that there is required a rethinking along new lines, possibly the expanded objective test for ascertaining the liability under excessive exercise of the right to self-defence. The foremost consideration however, should be that this right should not be misused as a tool for premeditated murder with a sense of revenge. The sanctity of the right must be protected and the jurisprudence behind its existence has to be appreciated to apply its true content satisfactorily.

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील और रिविजन

किसी व्यक्ति के मुख्य रूप से जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आपराधिक न्याय की प्रक्रिया के कुछ गंभीर परिणाम होते हैं। इस पहलू को समझते हुए, कुछ प्रावधान हैं जिन्हें आपराधिक अदालतों के फैसले या आदेश के खिलाफ अपील पर आपराधिक प्रक्रिया में शामिल किया गया है। सीआरपीसी में धारा 372 से लेकर धारा 394 तक अपीलों पर विस्तृत एलॉब्रेट प्रावधान हैं।

हालांकि, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। विधायकों लेजिस्लेटर ने इसे ध्यान में रखा और कानूनों में रिविजन नामक समीक्षा रिव्यू प्रक्रिया की अवधारणा कांसेप्ट को शामिल किया ताकि उन मामलों में भी न्याय की किसी भी विफलता से पूरी तरह से बचा जा सके जहां सीआरपीसी द्वारा अपील के अधिकार को रोक दिया गया है। धारा 397 से धारा 405 में उच्च न्यायालयों को दी गई रिविजन की शक्तियाँ और इन शक्तियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया शामिल है।

अपील पार्टियों को दिया गया एक कानूनी अधिकार है, हालांकि, रिविजन पूरी तरह से एक आपराधिक अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि यह इस तरह का अधिकार नहीं है। आपराधिक मामलों में, विधायिका द्वारा आरोपी को कम से कम एक अपील दी जाती है, जबकि रिविजन के मामलों में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, अदालतों ने कई बार अपील और रिविजन के बीच के अंतर पर चर्चा की है। हरि शंकर बनाम राव घारी चौधरी के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपील और रिविजन के बीच का अंतर वास्तविक है। अपील के अधिकार में कानून के साथ-साथ तथ्य पर भी सुनवाई का अधिकार होता है, जब तक कि अपील का अधिकार प्रदान करने वाला कानून किसी तरह से सुनवाई को सीमित नहीं करता है। एक रिविजन को सुनने की शक्ति आम तौर पर एक उच्च न्यायालय को दी जाती है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि कानून के अनुसार एक विशेष मामले का फैसला किया गया है।

अपील: शब्दअपील को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 इसके बाद सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, इसे निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक परीक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी अपील को एक कानूनी कार्यवाही के रूप में परिभाषित करती है जिसके द्वारा निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है।

यह इंगित पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है कि सीआरपीसी या किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक स्टेच्यूटरी प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी निर्णय या आपराधिक अदालत के आदेश से अपील नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, अपील करने का कोई निहित वेस्टेड अधिकार नहीं है क्योंकि पहली अपील भी वैधानिक सीमाओं के अधीन होती है। इस सिद्धांत के पीछे का औचित्य जस्टिफिकेशन यह है कि जो अदालतें किसी मामले की सुनवाई करती हैं, वे इस अनुमान के साथ पर्याप्त रूप से सक्षम हैं कि मुकदमा निष्पक्ष रूप से आयोजित कंडक्ट किया गया है। हालांकि, प्रावधान के अनुसार, पीड़ित को विशेष परिस्थितियों में अदालत द्वारा पास किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, जिसमें दोषमुक्ति एक्रिटल का निर्णय, कम अपराध के लिए दोषसिद्ध कनविक्शन या अपर्याप्त मुआवजा कंपनसेशन शामिल है। सत्य पाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृतक के पिता को धारा 372 के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का अधिकार है, क्योंकि वह पीड़ित की परिभाषा के अंदर आता है, निर्णय की शुद्धता और आरोपी को बरी करने के आदेश की शुद्धता पर प्रश्नचिह्न लगाने का अधिकार है।

आम तौर पर, सत्र सेशन न्यायालयों और उच्च न्यायालयों राज्य में अपील की उच्चतम अदालत और जहां अपील की अनुमति है, में अधिक शक्तियों का आनंद लेने वाले में अपील को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के समान सेट को नियोजित इंप्लॉयड किया जाता है। देश में अपील की सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च न्यायालय है और इसलिए, अपील के मामलों में इसे सबसे व्यापक विवेकाधीन और पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसकी शक्तियाँ काफी हद तक सीआरपीसी, भारतीय संविधान और

सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार, 1970 (सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिस्ट्रिक्शन, 1970 में निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित गवर्न होती हैं। कानून उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है जिसे किसी अपराध के लिए परिस्थितियों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दोषी ठहराया गया है। अरुण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि उच्च न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं (अपीलेंट) को बरी करने के लिए लिया गया विचार स्पष्ट रूप से गलत था, इसके अलावा, इससे न्याय की विफलता भी हुई है तो उच्च न्यायालय उन्हे बरी करने के निर्णय को रद्द करने और उन्हें दोषी ठहराने में सही है।

राज्य सरकार को लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को अपर्याप्तता (इनेडिकेसी) के आधार पर या तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया है, हालांकि केवल उन मामलों में जहां दोषसिद्ध के लिए मुकदमा उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है। इसके अलावा, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह आरोपी को न्याय के हित में सजा में किसी भी वृद्धि के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर दे। आरोपी को कारण बताते हुए अपने बरी होने या सजा में कमी के लिए याचना (प्लीड) करने का अधिकार है।

इसी तरह, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के पास कुछ शर्तों के अधीन, क्रमशः (रिस्पेक्टिवली) सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में बरी होने की स्थिति में लोक अभियोजक को अपील पेश करने का निर्देश देने की शक्तियाँ हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की बेंच ने सत्य पाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में कहा कि पीड़ित उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता है।

आरोपी को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है यदि उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराकर अपील पर बरी करने के आदेश को उलट दिया है, जिससे उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक की सजा या मृत्यु की सजा दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही आपराधिक अपील की प्रासंगिकता (रिलेवेंस) को समझते हुए, यही कानून भारतीय संविधान के आर्टिकल 134(1) में भी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्ट्रिक्शन) के तहत निर्धारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1970 को भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 134(2) के अनुरूप विधायिका द्वारा पास किया गया है ताकि उच्च न्यायालय से खास शर्तों के अन्दर अपीलों को सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की जा सकें।

एक या सभी आरोपी व्यक्तियों को अपील करने का समान अधिकार दिया गया है यदि एक से अधिक व्यक्तियों को एक मुकदमे में दोषी ठहराया गया है और ऐसा आदेश अदालत द्वारा पास किया गया है। हालांकि, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है। ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 265G, धारा 375 और धारा 376 के तहत निर्धारित किए गए हैं।

अपील पर पास निर्णयों और आदेशों की अंतिमता के संबंध में, सीआरपीसी कुछ मामलों को छोड़कर उन्हें अंतिम बनाता है। इससे पता चलता है कि अपीलों को किस प्रकार सर्वोपरि महत्व दिया जाता है।

रिविजन: सीआरपीसी में रिविजन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, सीआरपीसी

की धारा 397 के अनुसार, उच्च न्यायालय या किसी भी सत्र न्यायाधीश को किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार दिया गया है:

1. किसी भी निष्कर्ष, वाक्य या आदेश की शुद्धता, वैधता, या औचित्य (प्रोप्राइटी) के रूप में, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो या पास किया गया हो, और
2. इनफिरियर न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता (रेगुलेरिटी) के संबंध में।

इसके अलावा, उनके पास किसी भी सजा के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) या निर्लंबित (सस्पेंड) करने के आदेश को निर्देशित करने की शक्तियाँ हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आरोपी को जेल में बंद होने पर जमानत पर या अपने ही बॉन्ड पर रिहा करने का भी निर्देश दे सकते हैं। वे कुछ सीमाओं के अधीन जांच का आदेश भी दे सकते हैं। यह स्पष्ट है कि अपीलेट अदालतों को ऐसी शक्तियाँ इसलिए प्रदान की गई हैं ताकि न्याय की किसी भी विफलता से बचा जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इस प्रावधान के संदर्भ में, अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र और अन्य के मामले में कहा कि रिविजनल अधिकार क्षेत्र लागू किया जा सकता है जहां चुनौती के तहत निर्णय पूरी तरह से गलत हैं, कानून के प्रावधानों के साथ कोई अनुपालन नहीं है, दर्ज किए गए रिकॉर्ड किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं, भौतिक (मेटेरियल) सबूत की अनदेखी की गई है या न्यायिक विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या विकृत रूप से किया गया है। उसी न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम फतेहकरन मेहदू के मामले में इस प्रावधान को और स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य एक पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि या विकृतता (परवर्सिटी) को ठीक करना है जो कार्यवाही में विकृत (क्रेट) हो गया है।

उच्च न्यायालय के पास अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित पार्टी या किसी अन्य पार्टी द्वारा याचिका (पेटिशन) पर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर एक रिविजन याचिका लेने की शक्ति है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फारूक @ गफफार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में फैसला सुनाया कि जब भी मामला न्यायालय के संज्ञान (नोटिस) में लाया जाता है और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, रिविजन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मामला बनाया गया है, तो वह हमेशा न्याय के हित में ऐसा कर सकता है।

A. P. N. LAW INSTITUTE

[REGISTERED & RECOGNIZED]
5/158, VIRAMKHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-10
E mail-apnlawinstitute@gmail.com
Mob - 9450357128 , 9473652958

Professional training to Junior advocates.

- Civil
- Criminal
- Constitutional
- Consumer

Matrimonial & Family disputes

► Advance professional training

► Group discussion with Senior advocates & Retd. Judges

► LEGAL JOURNALISM.

NB- Training & experience certificate will be given to trainees.

Shri.V.K. Shukla
Course co-ordinator
Mob.-9452829986,
9889092373

DR. SHESH N. PANDEY
CHAIRMAN
Senior advisor & advocate, High Court
E mail - drshesh.n@gmail.com
Mob.- 9450357128, 9473652958

LEGAL VISION-



उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण

उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इसके लागू होने की तारीख नहीं तय की है। शासनादेश जारी होने की तारीख से यह नियम प्रभावी हो जाएगा। इस नियम के बाद अब किसी भी तरह की योजना, जिसमें विवाहित होने का सबूत देना होगा उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना विवाह पंजीकरण के शख्स को उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा, जिनके लिए शादीशुदा होने के साक्ष्य की जरूरत है।

विवाह पंजीकरण के लिए नागरिक के पास कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए ?

आधार कार्ड, शादी का कार्ड, वोटर कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, पति पत्नी की पासपोर्ट साइज और पते से संबंधित दस्तावेज विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक है।

विवाह प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है ?

एक विवाहित जोड़े के लिए शादी प्रमाण पत्र वह आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से कानूनी रूप से उनके रिश्ते को स्वीकार किया जाता है। बिना पंजीकरण के व्यक्ति की शादी को वैध नहीं माना जा सकता है।

विवाह एक धार्मिक संबंध है किन्तु अब कानूनी तौर पर भी इसे मान्यता मिलनी आवश्यक है यह जरूरी भी हो गया है जैसे शादी के बाद बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने, स्पाउज वीजा हासिल करने, जॉइंट प्रॉपर्टी लेने जैसे तमाम कार्यों के लिए शादी का प्रमाण-पत्र होना जरूरी है। साथ ही ये मैरिज सर्टिफिकेट इसी प्रकार कई तरह की परेशानियों से भी मुक्त कर सकता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली को संशोधित कर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कर दिया है, अब प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अब ऑनलाइन माध्यम से सभी व्यक्ति स्वयं ही स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना विवाह पंजीकरण आवेदन कर सकता है। इसके लिए पति तथा पत्नी को अपना पूरा विवरण भर कर सभी दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

विवाह पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज पति तथा पत्नी का आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिये राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि। आयु प्रमाण पत्र के लिए दसवीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र/पासपोर्ट साइज फोटो। शादी की एक जॉइंट फोटो। शादी का कार्ड सभी डॉक्यूमेंट को खुद प्रमाणित करें (सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी में अपने साइन करें)।

आधार आधारित विवाह पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश -

- आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है।
- विवाह पंजीकरण हेतु दोनो पक्षकारों का आधार अनिवार्य है, अथवा एक पक्ष के विदेशी होने पर पासपोर्ट होना आवश्यक है।
- निवास के पते में वही पता भरे, जिसका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं।
- तदपश्चात विवाह का स्थान व तिथि

की प्रविष्टि करें।

● आवेदन पत्र को पूर्ण सुरक्षित करने के उपरांत आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा। कृपया आवेदन संख्या एवं पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें।

● पति पत्नी सहित दो साक्षियों के पहचान, निवास, आयु प्रमाण व शपथ पत्र की साफ फोटोकॉपी (प्रारूप pdf, jpg) अपलोड करें। (अधिकतम 70 KB से बड़ा नहीं होना चाहिये)

● प्रपत्र को पूर्णरूप से सुरक्षित करने के बाद पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

● भुगतान के पश्चात भुगतान रसीद का प्रिंट आउट ले कर सुरक्षित रखें।

● पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वजनित तैयार हो जाएगा।

● वर एवं वधू को शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।

● अपलोड किये गये प्रमाण पत्र व शपथ पत्र अधूरा या त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

● शपथ पत्र को नोटरी से प्रमाणित करने के बाद ही अपलोड (upload) करें।

नोट : संशोधित होने के बाद उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अनुसार अब प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क के रूप में 50 रुपये लिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण हेतु दोनो पक्षकारों में से कोई एक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या विवाह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंदर सम्पन्न हुआ हो।

भारत सरकार के द्वारा दी जाने उन सभी सरकारी योजनाओं एवं अन्य प्रकार की सभी सेवाओं का लाभ नागरिक यूपी विवाह प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्र का उपयोग व्यक्ति एक वैध दस्तावेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

यदि कोई भी शादी से नाखुश हैं तो उन्हें तलाक लेने का पूरा हक है। इसके लिए तलाक के नये नियम 2021 के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है।

तलाक या डिवोर्स लेने के कई कारण हो सकते हैं-

● पति या पत्नी में से कोई भी एक शादी के बाहर किसी अन्य के साथ में यौन संबंध बनाता है। इसे अडल्ट्री कहा जाता है। और अगर ऐसा है तो एक साबुत भी आपके तलाक लेने लिए काफी है।

● शादी के बाद अगर पति या पत्नी एक-दूसरे को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक क्रूरता से नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी डिवोर्स हो सकता है। इसमें खाना न खाने देना, अपशब्दों का उपयोग, बाहर न निकलने देना, बात करने पर मनाही, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना जैसे कई कारणों को तलाक के नियमों में शामिल किया गया है।

● यदि पति या पत्नी में से कोई सात साल या उससे अधिक समय से गायब हैं, तो उन्हें कानून की नजर में मृत मान लिया जाता है। यदि जीवित पति या पत्नी स्थानीय परिवार



या जिला अदालत में यह मुद्दा उठाते हैं, तो यह तलाक के लिए एक वैध आधार बन जाता है।

● शादी होने के बाद यदि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया हो और वे दो साल से साथ में नहीं रहे हैं तो भी डिवोर्स हो सकता है। इसे डेज़रेशन कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि डेज़रेशन इमोशनल और फिजिकल भी हो सकता है जहाँ पति-पत्नी एक ही घर में रहते हैं लेकिन अपने पार्टनर से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं।

● पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति यौन रोगों का शिकार है और अगर साथ के साथ में यौन संबंध बनाने से यह रोग फैल सकता है, तो ऐसी स्थिति में तलाक दिया जाता है।

● यदि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो धर्म परिवर्तन के आधार पर भी भारत में डिवोर्स लॉज में डिवोर्स दिया जा सकता है। साथ ही, अगर पति या पत्नी धार्मिक, आध्यात्मिक या किसी अन्य कारण से दुनिया का त्याग करते हैं तो पार्टनर तलाक के लिए अर्जी कर सकते हैं। ये तलाक के कानून में 'कन्वर्जन और त्याग' के रूप में लिखित है।

● अगर पति या पत्नी में से कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। लेकिन अगर शादी से पहले पार्टनर की इस हालत का पता है तो तलाक के अर्जी नहीं डाल सकते हैं। मानसिक अस्वस्थता एक ब्रॉड कटेगरी है और मेन्टल हेल्थ एक्ट, 2015 के अंदर आती है। ऐसे मामलों में कोर्ट में सुनवाई जल्दी होती है।

पहली शादी खत्म किये बिना यदि पति दूसरी शादी कर लेता है, तो पत्नी तलाक के

लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। तलाक के रूल में ध्यान दे, यह कानून मुस्लिम धर्म की महिलाओं पर लागू नहीं होता है क्योंकि मुस्लिम कानून में सीमित बहुविवाह की अनुमति है।

अगर पति-पत्नी दोनों आपसी रज़ामंदी से तलाक लेना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए दोनों का एक साल से अलग रहना सबसे पहला कदम होता है। उसके बाद वे कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसमें कोर्ट के समक्ष दोनों के बयान रिकॉर्ड करे जाते हैं और सिग्नेचर लिए जाते हैं। इसके बाद दोनों को पुनः विचार करने के लिए छह महीने का वक्त दिया जाता है। और छह महीने पूरे होने के बाद अगर वे तलाक लेना चाहते हैं तो कोर्ट में उनके तलाक को मंजूरी दे दी जाती है। हालांकि ये कूलिंग पीरीयड जरूरी नहीं है। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता है।

सबसे पहले आपको जिस आधार पर डिवोर्स (स्त्रद्ध 1 शहद्ध) तलाक लेना है, वो सुनिश्चित करें और उसके सबूत जुटाना शुरू करें। इसके बाद कोर्ट में सारे कागजों और सबूतों के साथ अर्जी दाखिल करें। इसके बाद कोर्ट दूसरे पार्टनर को नोटिस भेजेगी। नोटिस के बाद अगर पार्टनर कोर्ट नहीं पहुंचता है तो मामला एकपक्षी रह जाता है और तलाक लेने वाले पार्टनर को कागजों के हिसाब से फैसला सुना दिया जाता है। वहीं अगर नोटिस के बाद दूसरा पक्ष कोर्ट पहुंचता है तो दोनों की सुनवाई होती है और ये कोशिश की जाती है कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो केस करने वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करता है (लिखित बयान 30 से 90 दिन के अंदर होना चाहिए)। इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और सबूतों व दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाती है। ये प्रक्रिया कई बार कई समय तक खींच जाती है। इस तरह के तलाक में न्यायालय कस्टोडियल अधिकारों को तय करते समय बच्चे के हित में निर्णय लेती है।

कल्याण सिंह नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण भी नहीं होता- राजवीर सिंह

आसमान सा कद हासिल करने के बाद भी जमीन पर पांव और विनम्रता की छांव कल्याण ने कभी हटने नहीं दी। यही कारण था कि वे हमेशा कार्यकर्ताओं के बाबूजी रहे। जब उनका गला रुंधा तो उनके हजारों-लाखों समर्थकों के आंसू छलके। जब उन्होंने मंच से दहाड़ा तो जोशीले नारों व तालियों का शोर गगनभेदी रहा। कल्याण के साथ सियासत में बड़े मन और सहजता के एक युग का भी अवसान हो गया। अधूरी रह गई। उनकी इच्छा है कि वह अयोध्या में बनने जा रहे भगवान राम के मंदिर में दर्शन कर अपने प्राण त्यागें। हालांकि, उनकी यह इच्छा नहीं पूरी हो पाई। भगवान राम के मंदिर बनने को लेकर कल्याण सिंह ने कहा कि ये उन लोगों को समर्पित है, जिनके संघर्ष के बल पर राम मंदिर का आंदोलन आज इस मुकाम पर पहुंचा है। कल्याण ने उत्साह में यह भी कहा था कि वह राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। कल्याण सिंह अपने पूरे जीवन काल में अयोध्या में राम मंदिर के सबसे मुखर पैरोकारों में एक रहे थे। पिछड़ी जाति से आने वाले कल्याण सिंह को यूपी के बड़े हिंदूवादी नेताओं में से एक माना जाता था। वह पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। दो बार यूपी के सीएम बनने वाले कल्याण सिंह लंबे वक्त तक सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे। वह तमाम मंचों से ये कहते रहे कि अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर ही विवादित ढांचा बना था। बाद में उनके दावों पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर तो लग गई।



Personality & Achievements

Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya



Madan Mohan Malaviya was an Indian scholar, educational reformer and politician notable for his role in the Indian independence movement. He was president of the Indian National Congress four times and the founder of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha. He was addressed as Pandit, Ji a title of respect, and also as Mahamana (Great Soul).

Malaviya strove to promote modern education among Indians and co-founded the Banaras Hindu University (BHU) at Varanasi in 1916, which was created under the 1915 B.H.U. Act. It is the largest residential university in Asia and one of the largest in the world, [3] with over 40,000 students across arts, commerce, sciences, engineering, linguistic, ritual, medicine, agriculture,

performing arts, law, management, and technology disciplines from all over the world. He was the vice chancellor of the Banaras Hindu University from 1919 to 1938. Malaviya was one of the founders of The Bharat Scouts and Guides. He founded a highly influential English newspaper, The Leader, in 1919, published from Allahabad. He was also the Chairman of Hindustan Times from 1924 to 1946. His efforts resulted in the launch of its Hindi edition named Hindustan Dainik in 1936.

Malaviya was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian distinction, on 24 December 2014, a day before what would have been his 153rd birthday.

Early life and education
Malaviya was born in Prayagraj, India on 25 December 1861, in a Hindu Kayastha family to Pandit Brijnath and Moona Devi. [13] He was born in a locality known as Lal Diggi (now Malviya Nagar) in a small house of Sawal Das of Saryakund. His grandfather, Pandit Premdhar Prasad, was the son of Pandit Vishnu Prasad of Malwa who had settled in Prayagraj, while other family members had moved to a nearby city named Mirzapur in Uttar Pradesh.

Since they hailed from Malwa (Ujjain) in the present-day state of Madhya Pradesh, they came to be known as 'Malaviya'. His great-grandfather Vishnu Prasad had five sons - Sadhodhar Prasad, Murlidhar Prasad, Vansidhar Prasad, Baldhar Prasad and Premdhar Prasad. His grandfather Premdhar Prasad had four sons - Lalji, Bacchulaji, Gajadhar Prasad and Brijnath Prasad. His father Pandit Brijnath had six sons and two daughters - Bihari Lal, Manohar Lal, Shayamsundar, Jaykrishna, Madan Mohan, Lakshmi Narayana, Shubhardra and Sukhdaei. Malaviya was the fifth son of his parents. He married Kundan Devi, daughter of Nand Lal of Mirzapur at the age of sixteen. His ancestors were highly respected for their learning and knowledge of Hindu scriptures and Sanskrit scholarship. His father was also learned in Sanskrit scriptures, and used to recite the Srimad Bhagavatam. Malaviya's education began at the age of five in Mahajani Pathsala. Later, he joined Hardeva's Dharm Gyanopadesh Pathshala, completed his primary education and joined a school run by Vidha Vardini Sabha. He then joined Allahabad



Zila School (Allahabad District School), where he started writing poems under the pen name Makarand which were published in journals and magazines.

Narendra Modi pays tribute to Madan Mohan Malaviya, on his birth anniversary in 2014

Malaviya matriculated in 1879 from the Muir Central College, now known as the University of Allahabad. Harrison College's Principal provided a monthly scholarship to Malaviya, whose family had been facing financial hardships, and he was able to complete his B.A. at the University of Calcutta. In July 1884, Madan Mohan Malaviya began his professional career as an assistant

master at the Government High School in Allahabad. He went Allahabad to study for his L.L.B.. In Allahabad, and he started practicing law at Allahabad District Court in 1891, and moved to Allahabad High Court by December 1893. Malaviya renounced his practice of law in 1911 to fulfil his resolve to serve the causes of education and social service. Despite this vow, on one occasion when 177 freedom fighters were convicted to be hanged in the Chauri-chaura case, he appeared before the court and won the acquittal of 156 freedom fighters. He followed the tradition of Sannyasa throughout his life, adhering to his avowed commitment to live on the support of society.

Can your parents evict you from their house?

For Indian parents conditioned by culture, it has always been difficult to snap the umbilical cord with progeny even in adulthood. This is the reason adult children stay with their parents till they get married and, sometimes, even afterwards.

While the arrangement works well as long as it is based on mutual respect and financial understanding, it often sours under the glare of greed or friction caused by proximity. What if the fissures widen beyond repair? Can the parents ask their ch ..

Adult children can live with parents in their house only till the time the latter want them to. In 2016, the Delhi High Court ruled that 'a son, irrespective of his marital status, has no legal right to live in his parents'

house, and can reside there only at their mercy'.

However, if the children are abusive, the parents have a blanket right to evict them. This is as per the rulings of various high courts in cases involving senior citizens, who appealed to the courts on being harassed ..

Adult children can live with parents in their house only till the time the latter want them to. In 2016, the Delhi High Court ruled that 'a son, irrespective of his marital status, has no legal right to live in his parents' house, and can reside there only at their mercy'.

However, if the children are abusive, the parents have a blanket right to evict them. This is as per the rulings of various high courts in cases involving senior citizens, who

appealed to the courts on being harassed ..

Does the property have to be self-acquired?

In 2017, the Delhi High Court ruled that the elderly parents who are abused or mistreated by children Do evicted kids have a legal right over property?

Even if the parents evict a child from their house, there is no legal concept of disowning an adult child in India. In case of a self-acquired property, the parents can disinherit a child by cutting him out of the will.

However, in case of an ancestral property, the parents have no control since the child has a right to it by virtue of birth and they cannot cut the kid out of the property's ownership in a will. If a can evict them from any type of property,

not just a self-acquired one. The property can be self-acquired, ancestral or even rented, as long as the parents are in its legal possession. This is an improvisation of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007,

What's the procedure for evicting children?

An elderly parent can simply file an application to the Deputy Commissioner or District Magistrate of his district to evict abusive children. In Delhi, the application is forwarded to the Sub-Divisional Magistrate, who has to send back the report with final orders within 21 days.

If the property is not vacated within 30 days, the DC can have it evicted forcibly. As per a high court ruling, the Senior Citizens

Maintenance ..

If the property is not vacated within 30 days, the DC can have it evicted forcibly. As per a high court ruling, the Senior Citizens Maintenance Tribunal also has the power to order the eviction of children who are harassing their elderly parents.

If you have a wealth whine, write to us...

All of us have been in a financial dilemma when it comes to relationships. How do you say no to a friend who wants you to invest in his new business venture? Should you take a loan from your married brother? Are you concerned about your wife's impulse buying? If you have any such concerns that are hard to resolve, write in to us at etwealth@timesgroup.com with 'Wealth Whines' as the subject.

Rent Agreement किरायानामा

Rent Agreement यानी किरायानामा उसे कहते हैं, साधारण भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को किराए पर देने के लिए संपत्ति के मालिक और किराएदार के मध्य इकरारनामा होता है। Rent Agreement या किरायानामा बनने की क्या प्रक्रिया होती है प्रथम दृष्टया मकान मालिक व किराएदार के मध्य एक ऐसा लिखित इकरारनामा होता है जो कि पूर्ण रूप से कानूनी रूप से होता है जोकि रू. 500 के नाम पर ही वैध माना जाता है पहले किराया नामा ?50 व ?100 के स्टांप पर बनाया जाता था लेकिन सरकार द्वारा अब Rent Agreement या किरायानामा R. 500 के स्टांप पर ही वैध माना जाता है। जिसे मकान या संपत्ति या कोई दुकान किराए पर लेनी है उसके द्वारा रू. 500 का स्टांप क्रय करना होता है और उस स्थान पर दोनों को मतलब मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से शर्तें लिखते हैं और दोनों पक्षकारों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं और सरकार द्वारा अधिकृत नोटरी पब्लिक द्वारा वह अटेस्टेड किया जाता है जिसमें गवाह की भी आवश्यकता होती है इस प्रकार हम पूर्ण रूप से बनवा सकते हैं यह एक कानूनी दस्तावेज होता है कानूनी लड़ई में भी किराए नामे का या Rent Agreement का बहुत अहम भूमिका होती है।

रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा बनाते समय बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग रू. 100 के स्थान पर भी किरायानामा बना लेते हैं Rent Agreement या किराया हो बनाते समय यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किरायानामा किस प्रॉपर्टी से संबंधित बना रहे हैं किराया राशि कितना रहेगी प्रॉपर्टी कहां पर है तुम सब चीजों को किरायानामा के अंदर अंकित करना अति

आवश्यक है।

1. Rent Agreement यह किरायानामा बनाते समय दोनों पक्षकारों के मकान मालिक ने किराएदार के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है वह उसके साथ साथ दो गवाहों के भी हस्ताक्षर निवास स्थान आदि अंकित होना अति आवश्यक है।

2. Rent Agreement यह किरायानामा बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए किराए की राशि अंकित होनी चाहिए सिक्कोरिटी राशि कितनी दी वह भी अंकित होनी चाहिए किराएदार द्वारा इन चीजों का उल्लेख किराए नामे में जरूर होना चाहिए।

3. Rent Agreement या किरायानामा बनाते समय यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि मकान मालिक द्वारा हर वर्ष कितना प्रतिशत किराया बढ़ाया जाएगा यह अंकित करना भी किराए नामे में अति आवश्यक है।

4. Rent Agreement बनाते समय मकान मालिक द्वारा किराएदार को किन-किन चीजों का उपयोग उपभोग करने देगा यह चीजें किराए नामे के अंतर्गत अंकित होनी चाहिए।

5. Rent Agreement या किरायानामा बनाते समय यह ध्यान में रखने वाली बात है कि किराएदार से कोई टूट-फूट होगी तो उसका हर्जाना कौन भरेगा यह बात भी किराए नामे में अंकित होना अति आवश्यक है।

6. Rent Agreement में मकान मालिक द्वारा अगर किराएदार से मकान खाली करवाना है तो 1 महीने पहले सूचित करना होगा यह बात किराए नामे अंकित होना अति आवश्यक है।

7. Rent Agreement यह किरायानामा बनाते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किराएदार द्वारा समय पर

किराया ना देने पर मकान मालिक कितनी पेलेंटे लगाने का अधिकार है यह किराए नामे के अंदर अंकित होना भी अति आवश्यक है।

8. Rent Agreement या किरायानामा बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए की बिजली पानी का बिल किराए से अलग होगा या किराए में संलग्न हो रहा इन चीजों का उल्लेख भी किराए नामे में अंकित होना अति आवश्यक है।

9. इस प्रकार इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किरायानामा बनवाना चाहिए जो कि हमने पूर्ण रूप से इसका वर्णन कर दिया है

रजिस्टर्ड और नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट में क्या है फर्क अगर आप अपना घर किराये पर देते हैं तो आप इसके लिए Rent Agreement करते हैं. आपके पास इसे नोटराइज्ड या रजिस्टर्ड कराने का विकल्प होता है.

Rent Agreement : किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले एक दस्तावेज (Rent Agreement) तैयार करना होता है जिसे 'किरायानामा' यानी Rent Agreement कहते हैं. रेंट एग्रीमेंट को कुछ लोग नोटराइज्ड कराते हैं.

एक ऑफिशन रेंट एग्रीमेंट को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करवाने का भी है. लेकिन, इसमें खर्च आता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं.

अगर आप मकान मालिक हैं और 12 महीने से ज्यादा का लीज एग्रीमेंट करवाते हैं तो उसको रजिस्टर्ड जरूर करवाएं.

अगर आप इस तरह के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो कोर्ट में वो एविडेंस (सबूत) के तौर पर नहीं चलेगा. अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) हो तो नोटराइज्ड चल सकता है क्योंकि वो भी कानूनी तौर पर वैध है।

वसीयत के बारे में जानिए

अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार बांटा जाएगा। वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है। वसीयत या विललिखना एक अच्छी वित्तीय योजना का अंतिम चरण है. यह आपको अपनी विरासत सही हाथों में पीछे छोड़कर जाने की सहूलियत देता है. यह सुनिश्चित करता है कि आपके उत्तराधिकारी आपकी मेहनत का सही लाभ उठा सकें.

वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपने न रहने पर अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है. यह नीचे बताए गए कामों में सक्षम बनाती है। अपनी इच्छानुसार संपत्ति का सही विभाजन। व्यवसाय की निरंतरता के लिए प्रावधान। -नाबालिग बच्चों के लिए ट्रस्टम और अभिभावक नियुक्त करना। विल न केवल आपको अपने प्रियजनों को शामिल करने की सहूलियत देगी, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल करेगी, जो आपकी विरासत के योग्य नहीं हो सकते हैं. यदि आप कोई संपत्ति रखते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं, जो आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपको एक वसीयत बनानी होगी.

अगर आप वसीयत नहीं बनाते हैं तो क्या होता है? अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार विभाजित और वितरित किया जाएगा. हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है. इससे संपत्ति गलत हाथों में पड़ सकती है या कुछ खास लोग जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, को बाहर रखा जा सकता है. यह मानते हुए कि आपने अपना पूरा जीवन अपनी संपत्तियों के निर्माण में बिताया है, अंत में इसे कौन प्राप्त करता है, इसका पूरा नियंत्रण बनाए रखना शायद एक अच्छा विचार है। पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी हो सकती है. एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखित वसीयत वारिसों के बीच किसी भी टकराव से बचाने में मदद करती है.

विल नहीं बनाने के लिए क्यों होते हैं सामान्य बहाने? -मैं युवा हूँ: कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि वे बहुत छोटे हैं, केवल उम्र के साथ आने वाली प्राकृतिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं.

लेकिन, आकस्मिक मृत्यु के बारे में क्या? आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जीवन में क्या होता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि वसीयत बनाना कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन के अंत में करना है. लेकिन, यह सभी आयु समूहों के लिए जरूरी प्रक्रिया है. -मेरे पति को वैसे भी सब कुछ मिल जाता है। -यह जटिल है यदि विल बनाना जटिल है, तो उन जटिलताओं की कल्पना करें जो विल नहीं बनाने के साथ आती हैं.

वसीयत या विलकिन बातों का रखें ध्यान?

कई निवेशकों का तर्क है कि उनकी अधिकांश संपत्ति में नामांकन है. लेकिन, एक व्यापक गलतफहमी है कि एक नामिनी किसी संपत्ति का अंतिम लाभार्थी होता है. एक नामिनी सिर्फ संपत्ति का ट्रस्टी या केयरटेकर होता है, मालिक नहीं. वह केवल किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति को सही कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए नियुक्त किया जाता है. वसीयत एक सर्वोच्च दस्तावेज है. यदि किसी नामिनी को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो वसीयत या उत्तराधिकार कानूनों में एक नामिनी को ओवरराइड करने की शक्ति होती है. जिसका अर्थ है कि नामिनी संपत्ति पाने के लिए जरूरी नहीं है. इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नामांकन करने के बावजूद वसीयत भी बनाई जाए.

-कई बार केवल परिवार का मुखिया ही विल तैयार करने के बारे में सोचता है. लेकिन, पारिवारिक संपत्ति सदस्यों में फैली हुई है, तो सुनिश्चित करें कि परिवार में सभी संपत्तिधारकों के पास वसीयत हो.

-नाबालिग बच्चों वाले परिवारों के लिए एक वसीयत बनाना बिल्कुल जरूरी है. यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में माता-पिता दोनों विल के बिना मर जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं मान्यम होगा कि बच्चे और संपत्ति की देखभाल कैसे की जाए. विल छोटे बच्चों के लिए ट्रस्टी या संरक्षक नियुक्त करने की सुविधा देती है.

-किसी वसीयतकर्ता द्वारा की गई कोई भी वसीयत रद्द हो जाती है अगर वह शादी कर ले. मतलब किसी व्यक्ति की शादी से पहले लिखी गई सभी वसीयतें अमान्य हैं. कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए शादी करने के बाद विल को फिर से लिखना होगा.

वसीयत करने का क्या तरीका है?

चूंकि आपकी विल शायद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिस पर आप हस्ताक्षर करते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि

जब आपके पास समय हो और तसल्लीत हो तब शांत मन से इसके लिए बैठें. किसी भी भूमि, अचल संपत्ति, बैंक जमा, शेयर, जीवन बीमा, सोना, व्यक्तिगत विरासत और अन्य निवेश सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करके इसकी शुरुआत करें. आप अपनी बकाया देनदारियों पर भी ध्यान दें।

किस तरह के निर्णय लेने की जरूरत होगी? - अपने लाभार्थियों का फैसला करें। -नाबालिग बच्चों के लिए अभिभावक तय करें। अपने व्यवसाय, एचयूएफ, आदि के लिए उत्तराधिकार की योजनाएं तय करें. -दो गवाहों का चयन करें. गवाहों को विल में लाभार्थी नहीं होना चाहिए. कुछ मामलों यह विल को अमान्य बना सकता है। ऐसे गवाह चुनें, जिसे मौत से कोई फायदा नहीं हो। इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक उचित वकील की सेवाएं लें. जब तक यह एक सीधा मामला नहीं हो, तब तक इसे स्वयं करने का प्रयास न करें।

-भारतीय कानूनों के अनुसार, इसे पंजीकृत करना या स्टैंप पेपर पर लिखना जरूरी नहीं है. हालांकि, आप रजिस्टर करते हैं, तो यह केवल इसकी प्रामाणिकता पर उठाए गए किसी भी संदेह का अंत करता है.

LEGAL PROCEDURE FOR ANTICIPATORY BAIL

Anticipatory bail can be obtained by a person who anticipates arrest. Hence, anticipatory bail is a direction to release a person on bail, even before the person is arrested. Anticipatory bail is applied for under Section 438 of the Cr. P.C. Arrests are mainly made after a criminal complaint to secure the appearance of the accused at the time of trial and to ensure that, if guilty, he/she is available for sentencing. However, if the presence of the accused can be reasonably guaranteed during the period of trial and sentencing, then it would be unjust and unfair to deprive the accused of his/her liberty during the trial period. Hence, if the courts believe that it would be unjust and unfair to arrest a person during the trial, anticipatory bail is granted. It is advisable to engage a criminal lawyer once a criminal complaint or FIR has been lodged.

Resolve a Boundary Dispute

Most properties have boundaries like walls, hedges, fences, edging and stones, however, overtime it may not be clear to whom the boundary belongs to and who owns the land between two properties.

Boundary disputes often occur when one homeowner replaces a boundary without gaining permission or consulting their neighbour first, or when new people move next door and take issue with a boundary that the old residents saw no problem with. You should never make changes to a boundary without talking to your neighbour first.

Boundary disputes also often occur when a homeowner wants to build right up to a boundary. A dispute can be settled by simply talking to your neighbour about your intentions as they too may be affected by your plans, and you need to ensure your building work remains within your boundaries and on your land.

You should maintain these boundaries and clearly define them. Amicable solutions are always best, so talk to your neighbours and agree with them the location of the boundaries,

as this will help prevent a boundary dispute.

To maintain these boundaries, there are a few simple measures you can take. Cut hedges to ensure they do not grow taller than 2 metres. Fences too should be no higher than 2 metres high without planning permission, and fences facing the street can be up to a metre without planning consent. Any plants or trees that overhang into your land can be cut off and returned to your neighbour.

Rules and regulations relating to driveways can be found in your shared driveways title documents. If you plan to separate two driveways with a wall on your land and partly on your neighbour's, you need to gain permission from your neighbour to do so. Those in semi-detached or terraced houses who share a wall with their neighbour is known as a party wall, and you will also require permission from your neighbour before work can be carried out.

However, sometimes it can be difficult to decipher a boundary and define a boundary line. Boundary lines can change over time and these changes are rarely recorded.

It is believed that the way a boundary is constructed dictates who owns the land. Yet, a boundary does not always belong to whoever's land it is on, and a boundary does not necessarily outline a border.



PUNEET ASTHANA
Director - HR
Vijayshree Legallinks

Boundary lines on Land Registry plans are generalised and not accurate enough to resolve a dispute as they often only show the approximate location of a boundary. Further, it is difficult to find legal documents and deeds that indicate the precise location of the boundary and whose responsibility that boundary is. Ordnance Survey maps are also not clear enough to define the precise legal border.

अवैध संपत्ति का कब्जा क्या है ?

यदि कोई व्यक्ति, जो किसी संपत्ति का कानूनी स्वामी नहीं है, मालिक की सहमति के बिना उस पर कब्जा कर लेता है, तो यह संपत्ति का अवैध कब्जा माना जाएगा। जब तक अधिभोगी के पास परिसर का उपयोग करने के लिए स्वामी की अनुमति है, तब तक व्यवस्था की कानूनी वैधता होगी। यही कारण है कि पट्टे और लाइसेंस समझौतों के तहत किरायेदारों को किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है, जिसके तहत मकान मालिक किरायेदार को एक विशिष्ट समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। इस समय सीमा के बाद परिसर में निवास करना, संपत्ति का अवैध कब्जा माना जाएगा किराएदार। हालांकि, सबसे बुरी बात यह है कि अगर किरायेदार 12 साल से अधिक की अवधि के लिए संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखता है, तो कानून भी उसे अवैध कब्जा जारी रखने में सक्षम करेगा। इसे कानूनी भाषा

में प्रतिकूल कब्जे के रूप में जाना जाता है। अगर कोई मालिक 12 साल तक अपनी संपत्ति पर अपना दावा नहीं करता है, तो एक स्कैटर संपत्ति पर कानूनी अधिकार हासिल कर सकता है। प्रतिकूल कब्जे पर प्रावधान सीमा अधिनियम, 1963 के तहत किए गए हैं।

किरायेदार द्वारा संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे से बचने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो उसे कानूनी रूप से संपत्ति का दावा करने के योग्य बनाता है। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत, आप अपनी संपत्ति पर स्वामित्व खो सकते हैं, यदि कोई अन्य व्यक्ति इसमें 12 साल की निर्बाध अवधि के लिए रह रहा है और प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व का दावा करता है। कानून प्रतिकूल कब्जे को संपत्ति के शत्रुतापूर्ण के रूप में परिभाषित करता है कब्जा, जो निरंतर, निर्बाध और शांतिपूर्ण होना चाहिए। इससे बचने के कुछ उपाय यहां दिए गए हैं। कानूनी संपत्ति के अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई - जो लोग एक अवैध गतिविधि के अंत में रहे हैं, वे कानून के विभिन्न

प्रावधानों के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए, जहां संपत्ति स्थित है। यदि एसपी शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो संबंधित अदालत में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की जा सकती है। आप इसके बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आप विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग कर सकते हैं, जिसके तहत अपनी संपत्ति से बेदखल व्यक्ति पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करके अपना अधिकार वापस ले सकता है। प्रतिकूल कब्जे का दावा कौन कर सकता है? एक व्यक्ति जो मूल मालिक नहीं है, एक संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, अगर वह कम से कम 12 वर्षों के लिए संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, जिसके दौरान मालिक उसे बेदखल करने के लिए कोई कानूनी प्रयास नहीं करता है। कब्जे का हस्तांतरण क्या है? कब्जे का हस्तांतरण किसी संपत्ति के कब्जे में परिवर्तन या चूक को संदर्भित करता है।

तहसील दिवस व थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ

राजस्ववादों को निबटाने के लिए ही तहसील दिवस, थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, मगर कोई भी अधिकारी मौके पर पहुंचकर न तो समाधान कराना चाहता है और न ही कोई एक्शन लेना चाहता है। सिर्फ आख्या का दौर ही चलता रहता है। जिसके कारण जिले में राजस्ववादों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जिले में होने वाली आपराधिक घटनाओं में हर तीसरा मामला जमीन से जुड़ा होता है। भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जा, हिस्से के बंटवारे को लेकर विवाद कभी-कभी गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। जमीनी विवाद खत्म करने और प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व परिषद सभी भू लेखों को ऑनलाइन कर रहा है। लगभग सभी तहसीलों में खतौनी ऑनलाइन की जा चुकी है। अब इसमें संशोधन होने पर तहसीलों को राजस्व परिषद का चक्कर नहीं लगाना होगा। इसके लिए भूलेख सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया गया है। डिजिटल हो रहे नक्शे - भू मानचित्र और खतौनी को लेकर तहसीलदारों और लेखपालों का खेल खूब चलता है। कई जगहों पर पुराने रेकॉर्ड नष्ट भी हो चुके हैं। ऐसे में तहसीलों पर मनमानी व्याख्या कर किसानों से वसूली की शिकायतें आती हैं। इसलिए उनको डिजिटाइज किया जा रहा है। ऐसे होने के बाद एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी और हेर-फेर की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इसे अंतर्गत प्रदेश के हर गांव की जमीन का शजरा (भू मानचित्र) ऑनलाइन होगा किया जा रहा है। राजस्व परिषद भू मानचित्रों की डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया से जल्द ही हर जिले को जोड़ देगा। खेतों की पैमाइश कराना आसान नहीं होता है। जब कोई किसान अपने खेत का सीमांकन कराना चाहता है, तो वह छह माह तक एसडीएम कोर्ट में भू-राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत हकबरारी का दावा करता है। न्यायालय में छह माह तक प्रक्रिया चलने पर पैमाइश के लिए आदेश होता है। पीड़ित पक्ष से एक हजार रुपये ट्रेजरी में जमा कराए जाते हैं। इसके बाद भी कभी पुलिस नहीं, तो कभी राजस्व कर्मचारी के नहीं होने पर पैमाइश के लिए सालों लग जाते हैं।

कानून किरन



शाहकों से अपील

प्रिय साथीगण,
विधि एवं न्याय सम्बन्धी लोकप्रिय समाचार पत्र वर्ष 2001 से प्रकाशित हो रहा है। जिसे अधिक उपयोगी और लोकप्रिय बनाने हेतु समाचार लेख, सहित अपना अमूल्य सुझाव देकर सहयोग दें। हम यह समाचार पत्र आपके दिये पते पर डाक द्वारा नियमित भेजना चाहते हैं। जिसके लिए अपना पूरा पता मो0 पर नोट कराकर या एस.एम.एस. अथवा ई-मेल से भेजें। टोकन सहयोग धन जितना कम ही सम्भव हो यदि चाहें तो कानून किरन लखनऊ के पक्ष में नगद या बैंक खाता नं0 पूछकर भेज दें। वार्षिक-200/- तथा 3 वर्ष हेतु 500/- आजन्म मात्र दो हजार रुपये नियत किया गया है।

कृपया अंक की प्राप्ति की सूचना और अंक पढ़कर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व सुझाव देंगे तो अगले अंक में उसे प्रकाशित किया जायेगा।
डा0 एस. एन. पाण्डेय, सम्पादक व एडवोकेट, मो0-9450357128

कानून किरन

5 / 158 विराम खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-10
मो0 -9450357128

सेवा में,

R.N.I.NO-UP-BIL/2001/04674